is other than the State Governments and the Central Government, there are many private entrepreneurs who wish to start such small hotels on the national highways. Does the Government have any proposal to give assistance to such private owners when they come forward for setting up hotels of this type?

SHRI H. K. L. BHAGAT: I would respectfully tell the honourable Member that he is mixing up the two things. In my last answer before the House I spoke about janata type, economy type or Budget hotels. Now, a hotel may be on a highway or may not be on a highway. The whole question is about janata, budget and economy type hotels, to be helped by the Central Government at a place chosen by the State Government where they provide the land and the Central Government assists. If the State Government comes forward with proposals for such hotels on highways, the Central Government is willing to consider it. There are a number of places which may not be on a highway, they may be in towns and other places where there is tourist attraction.

SHRI R. MOHANARANGAM: If private parties come forward to start these hotels, is the Government of India ready to give permission for construction of such hotels on highways?

MR. CHAIRMAN: It is for the State Governments to give permission. How does the Central Government come in?

SHRI R. MOHANARANGAM: Because it is on national highways. Otherwise, the State Government has power to give licence . . .

MR. CHAIRMAN: That is enough. Next, Mr. Gupta.

Mr. CHAIRMAN: Yes, Mr. Vishwa Bandhu Gupta.

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA: Sir, a number of "Drive-in" Hotels are there on the roads around Delhi, particularly on the Delhi-Agra road, where liquor is being served which results in accidents on the roads. I would like to know how many such hotels are there on this highway.

SHRI H. K. L. BHAGAT: Sir, I cannot give the exact number of the various kinds of hotels which are there on the highways around Delhi. They are on the Delhi-Haryana border and there are some on the Rajasthan side and there are a few on the UP side. So, I cannot give the exact number of these hotels. Some are hotels and some are motels and, in some cases, there are only shops. I also know that there are places where liquor is being sold. But, Sir, I do not know how many accidents have taken place as a result of the liquor that is sold; I do not know that. That information is not with the Tourism Ministry.

MR. CHAIRMAN: Next Question. Question No. 225. Mr. Yadav.

राजभाषा अधिनियम का कार्यान्वयन

*225. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री द्वारा इस संबंध में हिदायतें दिए जाने के बावजूद, राजभाषा अधिनियम और हिन्दी संबंधी वार्षिक प्रगामी कार्यक्रम को पिछले अनेक वर्षों से कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय और उसके उपक्रमों में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों को, जो अपना कार्य हिन्दी में करते हैं, सताया जा रहा है और उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है तथा इस संबंध में सरकार के पास शिकायत किए जाने के बाद भी सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है; यदि हां, तो अपना कार्य हिन्दी में करने के कारण अब तक कितने व्यक्ति नौकरी से निकाले गए; और

(ग) उनके मंत्रालय के विभिन्न विभागों के किस-किस अनुभाग में सब कार्य हिन्दी में इस वर्ष के कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) वित्त मंत्रालय, उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और उसके अधीन अन्य संगठनों में राजभाषा अधिनियम और वर्ष 1985-86 के वार्षिक कार्यक्रम की सभी अपेक्षाओं का कुल मिलाकर तथा सम्भव पालन किया जाता है।

(ख) परेशान किए जाने/सेवा समाप्त किए जाने/भेदभाव बरतने के आरोप के तीन मामले हाल ही में सरकार के ध्यान में लाए गए हैं। इन मामलों की जांच की जा रही है।

(ग) वर्ष 1985-86 के वार्षिक कार्यक्रम में यह नहीं कहा गया है कि किसी अनुभाग का सभी कार्य आवश्यक रूप से हिन्दी में किया जाना चाहिए। तथापि, सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रालय में 23 अनुभागों को अधिकांशतः अपना सरकारी कार्य हिन्दी में करने के लिए निर्धारित किया हुआ है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : सभापति महोदय, यह प्रश्न राजभाषा से सम्बन्धित है और हिन्दी सलाहकार समिति के वार्षिक कार्यक्रम से सम्बन्धित है। राज्य मन्त्री जी यदि हिन्दी नहीं बोल सकते तो यह माना जा सकता है लेकिन यहां पर जब वित्त मंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं वे राजभाषा का इतना भी आदर करने के लिए तैयार नहीं हैं कि उसी राजभाषा का हिन्दी सलाहकार समिति का जब प्रश्न आया है तो हाउस में उसका जवाब अंग्रेजी में देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजभाषा का इतना भी सम्मान या आदर नहीं है जबकि वित्त मन्त्री जी सदन में मौजूद हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मान्यवर, जो उत्तर दिया गया है वह सदन की व्यवस्था के अनुसार दिया गया है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैं तो व्यवस्था माननीय अध्यक्ष जी से चाहता था लेकिन व्यवस्था हमारे वित्त मन्त्री जी ने दे दी है और जवाब भी दे दिया है। मैं समझता हूं वित्त मन्त्री जी पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। मैंने पूछा है राजभाषा अधिनियम और हिन्दी सम्बन्धी वार्षिक प्रगामी कार्यक्रम जो 1985-86 वर्ष का है उसमें यह भी एक कार्यक्रम दिया हुआ है कि हर विभाग अपने एक अनुभाग में हिन्दी अनुभाग को छोड़कर के मूल काम सब काम हिन्दी में करेगा। मन्त्री जी जवाब देते हैं कि ऐसा कोई वार्षिक कार्यक्रम नहीं लिखा हुआ है। यह वार्षिक कार्यक्रम है आप अपने अधिकारियों को पढ़ने के लिए कहिये, इस में यह दिया हुआ है। मुझे समय रहता तो मैं आपको सब पढ़ कर सुना देता। एक तो गलत जवाब आपका विभाग देता है और आपके सचिव तथा अधिनियम और वार्षिक कार्यक्रम को पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। यह दुर्भाग्य की बात मैं किस को कहूं यह मुझे समझ में नहीं आता है। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि 19 सितम्बर, 1985 को प्रधान मन्त्री जी ने विज्ञान भवन में हिन्दी से सम्बन्धित सभी मन्त्रालयों सभी विभागों को बुलाया था और उस में सब बातों के सिवाय यह आग्रह किया था कि 1985-86 के कार्यक्रम को सभी विभाग पूरा करें। इसलिए कहा था कि 17 वर्ष से लगातार आपका विभाग राजभाषा के वार्षिक कार्यक्रम को पूरा नहीं करता आ रहा है। इसलिए उनको यह निर्देश करना पड़ा। जिस तरह से 17 वर्ष तक लगातार यह दोहराया गया कि प्रयास कर रहे हैं आप आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं जबकि आपका यह वर्ष मार्च में खत्म होगा इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे या नहीं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मान्यवर, जो प्रधान मन्त्री जी ने कहा है वह अंग्रेजी में मेरे पास लिखा हुआ है। उनके संदेश को पढ़ने से... **(व्यवधान)**

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : उन्होंने हिन्दी में कहा था ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमारे पास अंग्रेजी का वर्सन है।

श्री जगदम्बी प्रताप यादव : आप हिन्दी पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं । हिन्दी पढ़ने की कोशिश करते तो इसमें हिन्दी अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ है।

SHRI R. MOHANARANGAM: You cannot tolerate the Minister speaking in English just for two minutes? We have been tolerating speaking in Hindi for years.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : इनके लिए बोलिये (**व्यवधान**) गुलामी की भाषा जितना बोलना है बुलवाइये । (**व्यवधान**) प्रधानमन्त्री जी ने हिन्दी में भाषण दिया है, हिन्दी में...

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमारे पास जो है वह मैं अर्ज कर रहा हूं । मैंने यह नहीं कहा कि उन्होंने ऐसा कहा... (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: I want to make it clear that a Minister can reply either in Hindi or in Engilsh according to his choice and nobody can compel any Minister to reply in any particular language. Please proceed, Mr. Vishwanath Pratap Singh.

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उन्होंने यह कहा है कि अधिक से अधिक काम जो है, सरकारी काम, अंग्रेजी में होना चाहिए और उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि एनुअल प्रोग्राम पूरा हो जायेगा इसके लिए उन्होंने अपना संदेश दिया था । जहां तक मेरी बात है इसका विस्तृत विवरण है कि हर कदम पर क्या-क्या हुआ है काफी माने में जो वार्षिक कार्यक्रम है उसको पूरा किया जा रहा है ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : एक नदेशक का पद है उसको भी नहीं भरा है । 28 पार्लियामेंट के मेम्बर्स ने, मैंने और कैलाशपति मिश्र जी ने भी लिखकर दिया, आपके सामने सलाहकार समिति में भी दिया कि स्टेट बैंक की सकौती टांडा शाखा के क्लर्क श्री सुरेन्द्र कुमार को नौकरी से हटाया गया है लेकिन आज तक उस बैठक के बाद आपने उसका कोई निर्णय नहीं किया, एक सवाल यह है । दूसरा अंग्रेजी वाले टंकक अगर हिंदी में टाइप करते हैं तो उनको आप 30 रुपये महीना देते हैं लेकिन हिंदी वाले अगर अंग्रेजी में करते हैं तो उनसे मुफ्त में बंधुआ मजदूरों, जैसा काम लेते है और जो आशुलिपिक हैं उनसे भी कोई बड़ा अधिकारी आज काम ही नहीं लेता है इसलिए कि आपके यहां काम ही नहीं होता है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके यहां शिकायत करने पर, नौकरी से जाने पर और 28 सदस्य आपको अगर लिखकर भी दें तब भी आपके यहां निर्णय नहीं होता है । इस तरह से हिंदी में काम करने वाले सताए जा रहे हैं । इसका तो जवाब दे दीजिए कि जब इसमें लिखा हुआ है कि एक अनुभाग में आपका हिंदी में काम होना चाहिए लेकिन आपका जवाब है कि ऐसा कोई वार्षिक कार्यक्रम अधिनियम में नहीं है । जब कि इसमें है । ऐसा आपका जवाब कैसे दिलवाते है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जहां तक सकौती टांडा का है, यह नहीं कि कार्यवाही नहीं की गयी है । वहां पर श्री सुरेन्द्र कुमार प्रोबेशनल क्लर्क सकौती टांडा मेरठ ब्रांच में जो थे उनके लिए स्टेट बैंक को लिखा गया है । उन्होंने यह बताया कि दुर्व्यवहार के कारण उनकी सर्विस खत्म की गयी, हिंदी में काम करने की वजह से नहीं की गयी फिर भी स्टेट बैंक से और भी स्पष्टीकरण मांगा गया है । जहां तक पदों का सवाल है, जैसे डाइरेक्टर पद का, उसकी सुनिश्चित सूचना अभी तक मेरे पास नहीं है । मैं माननीय सदस्य को उसके बारे में सूचना दे दूंगा ।

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM: Because of the lapses mentioned by Shri Jagdambi Prasad Yadav, the Official Languages Act itself a matter of controversy in our country. It has been

strongly opposed by non-Hindi people on the ground that it has not incorporated the assurances of Pt. Nehru in the continuance of English in the administration at the Centre. Contrary to expectations, Hindi is causing division in the country. In view of these facts, will this Government come forward to amend the Act to incorporate the assurances of Pt. Nehru to continue English indefinitely and to avoid criticism of a Member like Mr. Yadav?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: Sir, I do not agree that Hindi causes division in the country; I disagree with that opinion. There is provision in the Official Languages Act that so far as category 'C' is concerned, correspondence will be in English.

श्री विट्ठलभाई मोतीराम पटेल : सभापति महोदय, हाउस में वित्त मंत्री जी ने एश्योरेंस दिया था कि राजभाषा का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो स्टाफ भर्ती करना जरूरी है उनमें कोई बांध नहीं है। लेकिन बांध चल रहा था और बांध उठाया नहीं था तथा हजारों डिपार्टमेंट्स में जगहें खाली हैं और अभी तक भर्ती नहीं की जा रही है तो क्या यह बांध है या उठा लिया गया है ?

SHRI JANARDHAN POOJARI: There is no ban on creating the posts as needed. We are examining the requirement of each on merit, and then only, Sir, posts are created. And there is no blanket ban, there is no absolute ban.

SHRI MURASOLI MARAN: The Official Languages Act is being used as an engine of Hindi imposition. I cannot share the view of the honourable Minister that Hindi is not a divisive force...

MR. CHAIRMAN: Each holds his own opinion.

SHRI MURASOLI MARAN: I would say national integration would meet its Waterloo if Hindi is imposed on non-Hindi-speaking people as the sole official language. It is disturbing to see in the honourable Minister's statement that 23 sections of the Ministry have been earmarked for transacting their official work substantially in Hindi. I would like to know what he means by "Substantially in Hindi". Does he mean that those employees working in these 23 sections are using Hindi alone? What is the fate of the staff members who do not know Hindi who are working in those sections? Also, is any English translation available if substantial work is done in Hindi? Secondly, banking has nothing to do with the Hindi language. But the Indian Bank in Madras has issued a directive to all the staff members compelling them to transact business with their northern counterparts in Hindi alone forgetting the fact that the rules of the Official Languages Act give an exemption to Tamil Nadu The rule says—

> Rule 1(2)—"The Official Languages Act shall extend to the whole of India except the State of Tamil Nadu."—

It is very clear from this and in spite of it, probably because of ignorance the Indian Bank Headquarters have issued a circular saying that they should correspond with their counterparts in northern India in Hindi alone. May I know from the honourbale Minister whether he will see that this Official Languages Act and its rules are adopted in letter and in spirit so that the Indian Bank and the other nationalised banks in Tamil Nadu do not compel their employees to transact business in Hindi alone in view of the exemption given?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: I will look into this matter.

As regards the other thing, in the various sections there are quite a large number of people knowing Hindi. So there is no difficulty there—a large number, 70 to 80 per cent. Those who do not know Hindi, we encourage them to learn Hindi. We do encourage people to learn Hindi. That is the policy. But if somebody does not know Hindi, there is no compulsion that he will do it in Hindi. He can do it in English.

श्री कैलाश पति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मेरठ जिले में स्कौटी टांडा में जो स्टेट बैंक की शाखा है, उसके बारे

में वित्त मंत्री जी ने उत्तर दिया कि वह शाखा, हिंदी चयनिक शाखा पहले घोषित की गई थी। सुरेन्द्र कुमार ने उसके बाद हिंदी में काम करना शुरू किया, लेकिन प्रबंधक को पसंद नहीं था, निर्देशक को पसंद नहीं था और इसी का शिकार सुरेन्द्र कुमार हो गया। वहां जांच अगर हुई है, तो मुझे लगता है कि पहला मुद्दा था जांच करने के लिए कि सुरेन्द्र कुमार के अलावा और कर्मचारियों ने हिंदी में काम करना शुरू किया था। वह हिंदी चयनिक शाखा थी।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि एक सुरेन्द्र कुमार को छोड़ कर और कितने कर्मचारियों ने हिंदी चयनिक शाखा में हिंदी में काम करना शुरू किया, इसकी जांच हुई है क्या ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : तात्कालिक सूचना यह नहीं कि कितने और लोग उस हिंदी शाखा में काम कर रहे हैं। इस सूचना का हम पता लगा करके माननीय सदस्य को दे देंगे।

श्री कैलाश पति मिश्र : इसी का तो वह शिकार हो गया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अब पचास हजार तो शाखायें हैं। अब कौन सी शाखा में कितने कर्मचारी हिंदी लिखते है, जरा सोचिये कि क्या प्रश्न आप कर रहे हैं ?

WELCOME TO THE HUNGARIAN PARLIAMENTARY DELEGATION

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have an announcement to make. We have with us this morning, seated in the special box, Members of the Hungarian Parliamentary Delegation which is currently on a visit to our country under the distinguished leadership of His Excellency Mr. Istvan Sarlos, President of the National Assembly of Hungarian People's Republic. The other Members of the Delegation are—

1. Dr. Miklos Vida, M.P.

2. Dr. (Mrs.) Iren Kakas Szabo, M. P.

3. Dr. Sandor Karacsonyi, M. P.

The Delegation which arrived in the early hours of the 9th March will be in our country till the morning of the 13th March.

On behalf of the Members of the House and on my own behalf, I take pleasure in extending a very hearty welcome to the Leader and other Members of the Delegation and with our distinguished guests a very enjoyable and fruitful stay in our country. We hope that by the time they leave us they shall have seen and learnt more about our country and our people. Through them we convey our greetings and best wishes to the Members of the National Assembly and the friendly people of Hungarian People's Republic.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS— Contd.

SHRI R. MOHANARANGAM: Mr. Chairman, Sir. I have got very high regard for our Chief Minister and I have great confidence in the Finance Minister.

MR. CHAIRMAN: You mean the Prime Minister.

SHRI R. MOHANARANGAM: He was a former Chief Minister. He has said that he will definitely look into the matter and if at all there are persons who do not know Hindi, he will look into the matter and preference will be given to persons who do not know Hindi. And he said that he will also look into the matter that pressure will not be put on persons who are coming from different parts without knowing this particular language. Sir, my suggestion is this. I am not going to point out about the Official Language because it has already been imposed and you are giving pressure and everything. Sir, persons from the Southern parts, specially from my part, come through selection by the Staff Selection Committee and the qualification prescribed by the Staff Selection Committee is that they can appear either in English or any other languages, the regional languages. Now, they are appearing only in English or Tamil

and they are selected to work in Delhi. Nearly 90 per cent of the persons who are selected through the Staff Selection Committee are expected to work only in the capital of the country, viz. Delhi. Delhi is not the property of any body. Delhi does not belong to any particular religion or community or language. It is common to the entire country. It is the property of all the country. When it is the property of all the persons who are coming from different parts of the country, what made you, Sir, to impose a particular language in 23 sections of the Finance Department, to give more preference for Hindi language without any preference for some other languages? *If it is Madhya Pradesh or Rajasthan* or Bihar, I can tolerate. When Delhi is the property of all, when you are not in a position to shift the capital of the country, then what is the necessity for imposing in 24 sections of the Finance Department to adopt only a particular language, viz. Hindi?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: Sir, Delhi falls in the 'A' category of the list of various States in the Languages Act. And I said, so far as Government employees are concerned, it is not pressuring but only persuation and incentive to work in Hindi which we have accepted as a general national policy.

श्री वीरेन्द्र वर्मा : : क्या माननीय वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे जिस सुरेन्द्र कुमार स्कौटी टांडा के क्लर्क की बाबत उनसे प्रश्न पूछा गया था, मैंने लिख कर यह शिकायत भेजी थी और अखबार की कटिंग्स भी दी थीं, उनका उत्तर भी मेरे पास, मान्यवर, आपने भेजा था। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या उस संबंधित अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है या किसी अधिकारी ने उसकी जांच की थी। उस अधिकारी का नाम बताया जाए जिसने जांच की थी, पार्ट ए और पार्ट बी के अन्तर्गत मान्यवर, जितने आपके उपक्रम हैं, पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज हैं, उनमें आपके आदेश होने के बावजूद 5 प्रतिशत भी काम हिंदी में नहीं होता। क्या उसका कारण बताने की कृपा करेंगे, और तीसरा मेरा मौलिक प्रश्न है कि क्या संविधान की उन धाराओं में देश की आनर और प्रेस्टीज के लिए आप आवश्यक अमेंडमेंट करेंगे तथा तमिलनाडु के माननीय आनरेबल मैम्बर के सैंटिमेंट के अनुसार और देश के हित में, देश की आनर के हित में, इंगलिश को इस देश की आफिशल लैंग्युएज, राष्ट्रभाषा उनकी भावना के अनुरूप बनाने की कृपा करेंगे ?

MR. CHAIRMAN: It is a suggestion.

SHRI JANARDHAN POOJARI: Sir, So far as Mr. Surendar Kumar is concerned. I can tell the hon. Member that he was a probationary officer and in fact for disobedience and carelessness in his functioning as a probationary officer action was taken against him. Sir, here I may tell the hon. Member that during his probation period all these lapses have been communicated to him in writing and an explanation was sought from him. The explanation which has been given by him has not been given in a straightforward manner. So, Sir, his services were terminated on 30-7-1985. Sir, he has even admitted that he could not tally the balances of two ledgers of 9-4-1985. Now he wanted to give a different colour for his removal from service but it is not true to say that...

श्री वीरेन्द्र वर्मा : : चेयरमैन सर, मेरा प्रश्न यह है कि उत्तर इन्क्वायरी करके आपने दिया है क्या ?

MR. CHAIRMAN: The Minister is answering directly your question.

SHRI JANARDHAN POOJARI: Regarding the other suggestions of the hon. Member, they have been noted.

Overdrafts by States

*226. SHRI M. S. RAMACHANDRAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state the outstanding amount of overdrafts by different State Governments as at the end of 1985, State-wise?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): Only Maharashtra had an overdraft of Rs. 5.31 crores as on